

कार्यालय  
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल [almoraforestdivision@rediffmail.com](mailto:almoraforestdivision@rediffmail.com)

पत्रांक 650 / R-102 अल्मोड़ा दिनांक 4-8 - 2020

सेवा में

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय – जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त से हरिदत्त पेशाली इण्टर कॉलेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं०-9220/2015)

संदर्भ – भारत सरकार का पत्रांक सं०- 8वी०/यू०सी०पी०/06/125/2015/एफ०सी०/2445/  
दिनांक 04.02.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त विषयक प्रकरण की सूचना इस कार्यालय की पत्र सं०- 3742/12-1(2) दिनांक 25.02.2020 के द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को पत्र प्रस्ताव विभाग के द्वारा हाथों-हाथ उनके कार्यालय में उपलब्ध करा दी गई है। जिसे ऑनलाईन महोदय की सेवा में संलग्न सहित प्रेषित की जा रही है।

अतः सूचनार्थ महोदय की सेवा में प्रेषित।

संलग्न- उक्तानुसार।

भवदीय,  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

कार्यालय  
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल [almoraforestdivision@rediffmail.com](mailto:almoraforestdivision@rediffmail.com)

पत्रांक 3742/12-1(2) अल्मोड़ा

दिनांक 25/02/2020

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी  
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय -

जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त से हरिदत्त पेटशाली इन्टर कालेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं० 9220/2015)

संदर्भ-

भारत सरकार का पत्रांक सं० 8वी./यू.सी.पी./06/125/2015/एफ.सी./2445/दिनांक 04.02.2020.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र एवं उक्त विषयक प्रकरण के क्रम में इस कार्यालय से अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अल्मोड़ा को भारत सरकार का उक्त सन्दर्भित पत्र भेजा गया, के क्रम में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अल्मोड़ा ने अपने पत्र सं० 336/3सी. (व मू.) दिनांक 19.02.2020 से इस कार्यालय को पत्र भेजा है (छायाप्रति संलग्न) कि प्रति भारत सरकार व आपको भी प्रेषित की गयी है। प्रेषित पत्र में उल्लेख किये गये बिन्दुओं पर अपने स्तर से विचार करने की कृपा किजियेगा।

अतः प्रकरण पुनः सादर अनुरोध के साथ महोदय की सेवा में प्रेषित।

संलग्न-उक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

पत्रांक 3742/12-1(2) दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी अल्मोड़ा।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अल्मोड़ा को उनके पत्र सं० 336/3सी. (व मू.) दिनांक 19.02.2020 के क्रम में।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

9/101  
24-2-2020



UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा



E-mail-[eeecdalmorapwd@rediffmail.com](mailto:eeecdalmorapwd@rediffmail.com)

Ph. No.- 05962-230091

पत्रांक 336 / असा. व. भू.

दिनांक 19/02/2020

✓ सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग,  
अल्मोड़ा।


विषय:- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पन्त तिराहे से (हरिदत्त पोटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 है0 वनभूमि का गैरवानिकीय कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी0/यू0सी0पी0/06/125/2015/एफ0सी0/2445 दि0 04.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के पहले पूर्व निर्मित 2.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग में बना हुआ है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309बी के किमी0 5 है0 2-4 से प्रारम्भ होता है। इस पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से ग्राम चितई तिवारी, चितई पन्त जुड़ चुके हैं। प्रस्तावित मोटर मार्ग से ग्राम मन्योली, पेटशाली बाड़ी एवं ग्राम पूनाकोट लाभान्वित होंगे। प्रस्तावित मोटर मार्ग उक्त ग्रामों को जोड़ते हुए पुनः राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309बी के किमी0 11 के है0 8-10 में समाप्त होगा। यहां यह भी अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309बी के किमी0 5 से 11 तक के भाग में अत्यधिक तीव्र ढलान है। जिसमें आये दिन दुर्घटनायें होती रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309बी के इस दुर्घटना प्रभावित भाग के वैकल्पिक मार्ग निर्माण की नितान्त आवश्यकता है। प्रस्तावित मार्ग उक्त दुर्घटना प्रभावित भाग के वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग होने के साथ-साथ ग्राम मन्योली, पेटशाल बाड़ी एवं पूनाकोट को संयोजित करेगा।

अतः प्रकरण पुनः इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि व्यापक जनहित में उक्त मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु पुनः विचार करने की कृपा करें।

  
19/2/2020  
अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

पत्रांक / 3सी. (व. भू.) दिनांकित।

प्रतिलिपि-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

10577  
12-1(2)

24-2-02

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा